न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

(1)वादपत्र संख्या 109/2015
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गुलजारसिंह,
2. दर्शनसिंह,
3. महेन्दसिंह,
4. जोगेन्द्रसिंह,
5. छिन्द्रसिंह,
6. हरमेशसिंह उर्फ रमेशसिंह एवं
7. देशसिंह आत्मजन श्री जगतारसिंह, रायसिख, ग्राम डिपूलाना तहसील व जिला फाजिल्का द्वारा मुख्यार श्री महेन्द्रसिंह आत्मज श्री जागरसिंह, चौक डिपूलाना तहसील व जिला फाजिल्का(पंजाब)

...वादीगण

बनाम

1. हरनामसिंह,
2. जीतसिंह,
3. सुरजीतसिंह एवं
4. बलवन्तसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह, रायसिख, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

(2)वादपत्र संख्या 58/2016
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. हरनामसिंह,
2. जीतसिंह एवं
3. बलवन्तसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह, रायसिख, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. दर्शनसिंह,
2. गुलजारसिंह एवं
3. जोगेन्द्रसिंह आत्मजन श्री जगतारसिंह, रायसिख, ग्राम डिपूलाना, हरनामसिंह,

..प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादीगण)
श्री सुभाष मिढ़ा (प्रतिवादीगण)

दिनांक 17 सितम्बर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 102/89 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 से 25 की 6.3325 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण की माता श्रीमती जीतोबाई के नाम पर 1/7 हिस्सा एवं श्री हरनामसिंह के नाम पर सयुक्त खातेदारी दर्ज है. वादीगण की माता श्रीमती जीतोबाई की मृत्यु दिनांक 17 मार्च, 2015 के बाद वादीगण श्रीमती जीतोबाई के नाम पर दर्ज 1/7 हिस्सा अर्थात 0.903 हैक्टर कृषि भूमि के हकदार एवं मालिक होने के कारण श्रीमती जीतोबाई के हिस्सा तक की सीमा तक घोषणा करवाने के अधिकारी हैं. प्रतिवादी संख्य 1 से 4 वादीगण के हकीकी माता हैं तथा वादीगगण की माता के जीवनकाल में उकसे सम्बन्ध में हिस्सा ठेका राशि समय समय पर अदा करते रहे हैं. क्योंकि वादीगण की माता श्रीमती जीतोबाई विवाहोपरान्त ग्राम डिपूलाना पंजाब में रहने के कारण अपनी खातेदारी कृषि भमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को ठेका काश्त पर देती थी. वादीगण द्वारा उनके हिस्सा की सीमा तक बढिया एवं घटिया कृषि भूमि की दर से विभाजन करने हेतु प्रतिवादीगण को कई बार कहा किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ समय व्यतीत करते आ रहे हैं तथा जानबूझ कर विभाजन नही करवा रहे हैं जिससे संयुक्त खाता की कृषि भूमि पर वादीगण स्वयं काश्त करने एवं सुधार कराने में वंचित हो रहे हैं जिससे विवश होकर वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है जिसके लिये वादीगण द्वारा विचाराधीन प्रकरण की पैरवी करने हेतु अपने सगे भाई श्री महेन्द्रसिंह को मुख्तयार घोषित किया गया है. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि में वादीगण अपनी माता श्रीमती जीतोबाई के हिस्सा की घोषणा एवं विभाजन करवाने के अधिकारी हैं किन्तु प्रतिवादीगण जानबूझ कर विभाजन नही कर रहे हैं. जिन्हें समय समय पर अपने मुख्तयार के माध्यम से एवं स्वयं मौखिक रूप से तकाजा किया गया जिसकी प्रतिवादीगण द्वारा परवाह नहीं की गयी तथा दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को विभाजन करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया. यही वादहेतुक वादीगण को उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 5 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 से 25 की 6.325 हैक्टर संयुक्त कृषि भूमि में से श्रीमती जीतोबाई के नाम पर दर्ज 1/7 हिस्सा एतद्द्वारा 0.903 हैक्टर के खातेदार घोषित किये जाने के साथ साथ अच्छी एव घटिया कृषि भमि की दर से विभाजन कर हिस्सानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चि 5 एफ बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, पंजाबी से हिन्दी अनुवादित मुख्यारनामा आम दिनांक 26 सितम्बर, 2015, ग्राम पंचायत, चौक डिपूवाला ब्लॉक जिला फाजिल्का द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 5 एफ बड़ा तहसील व जिला

श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 38 की 25.00 बीघा कृषि भूमि श्री सुरन्दरसिंह आत्मज श्री श्यामसिंह के नाम पर भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया. प्रतिवादीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नगत कृषि भूमि अपने चारों पुत्रों को बांटकर दे दी थी तथा श्रीमती जीतो को उसके हिस्सा की राशि अदा कर दिये जाने के बाद श्रीमती जीतो का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा इसलिये वादीगण की माता का हिस्सा समाप्त हो गया. जिसका प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है. श्रीमती जीतो द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया गया था. जिसके परिदृश्य वादीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की माता को कभी भी ठेका हिस्सा की राशि का भुगतान नही किया गया क्योंकि वादीगण की माता को उनके पिता के जीवनकाल में ही हिस्सा दे दिया गया था. वादीगण की माता द्वारा अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नही की गयी क्योंकि उसने अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया गया था. वादीगण के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं है इसलिये विभाजन का कोई प्रश्नद ही उत्पन्न नहीं होता है. वादीगण एवं प्रतिवदीगण के मध्य विभाजन की कोई बात नहीं हुई. वादीगण को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होने के कारण विचाराधीन वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि वादीगण के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं है इसलिये विभाजन का कोई प्रश्नद ही उत्पन्न नहीं होता है. वादीगण एवं प्रतिवदीगण के मध्य विभाजन की कोई बात नहीं हुई. वादीगण को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होने के कारण विचाराधीन वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रश्नगत कृषि भूमि भारत सरकार द्वारा आवंटित शुदा है जिसकी बाबत मा. न्यायालय को क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है. वादीगण द्वारा निष्पादित मुख्तयारनामा आम राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैद्य नहीं होने के कारा श्री महेन्द्रसिंह को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है. वादीगण की माता द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपना हिस्सा प्राप्त कर लिये जाने के बाद वादीगण किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगांनगर द्वारा जारी सनद संख्या 9525 दिनांक 15 मई, 1973 एवं श्री सुन्दरसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 20 मई, 2004 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा उपस्थित आकर प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र को ही प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब वादपत्र माने जाने हेतु कथन हस्ताक्षरित किये गये.

प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 5 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 102/89 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 से 25 में वादीगण की माता श्रीमती जीतोबाई के नाम पर 1/7 हिस्सा खातेदारी दर्ज है? तथा वादीगण अपनी माता श्रीमती जीतोबाई की मृत्योपरान्त उसके नाम की 1/7 हिस्सा अर्थात 0.903 हैक्टर कृषि भमि की बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन करवाने के अधिकारी हैं? .....वादीगण
2. क्या वादीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में श्रीमती जीतो को उसके हिस्सा दिया गया है? .....प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

विवाद्यको के विनिश्चय हेतु साक्ष्य वादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही करने के कारण आदेश दिनांक 6 अप्रेल, 2016 द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया. जिस पर साक्ष्य वादी हेतु श्री महेन्द्रसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य वादी हेतु श्री दर्शनसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की जाकर साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 4 मई, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र मुख्तयारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी के मुख्तयारनामा के आधार पर साक्ष्य नहीं ली जा सकती व न ही वादी के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है. इस प्रकार वादी स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया.

(2) वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 एफ बड़ात तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 38 के 25.00 बीघा कृषि भूमि भारत सरकार द्वारा वादीगण के पिता श्री सुन्दरसिंह आत्मज श्री श्यामसिंह के नाम पर आवंटित की गयी. श्री सुन्दरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भमि का विभाजन कर अपने चारों पुत्रों को दी दी गयी. पुत्रियों द्वारा अपने हिस्सा की मांग नही की तथा उनके सामने घरू तौर पर बंदवारा किया तब से लेकर आज तक उक्त कृषि भमि का कब्जा वादीगण का चला आ रहा है अब भी मौका पर चारों भाईयों का शान्तिपूवर्क कब्जा चला आ रहा है. वादीगण के पिता की मृत्योपरान्त उक्त कृषि भूमि की सनद जारी की गयी है जिसमें प्रतिवादीगण की माता का नाम भी दर्ज किया गया है. श्रीमती जीतो की मृत्योपरान्त प्रतिवादीगण के मन में बदनीयती की वजह से प्रश्नगत जमीन पर नजर रखे हुऐ हैं तथा उनके साथ अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति भी है तथा भू–माफिया के साथ साज बाज कर उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने में प्रयासरत हैं. जबकि उनकी